न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 19/2015

प्रार्थी	बनाम्	अप्रार्थी
भूराराम गोदारा खाध सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर		प्रवीण कुमार पुत्र वीरमाराम जाति माली निवासी हनवंत कॉलोनी बालोतरा जिला बाड़मेर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ा) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर उपस्थित
2. अप्रार्थी प्रवीण कुमार उपस्थित

निर्णय दिनांक 27.6..2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 08.07.2014 को प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त जरिये सरकारी वाहन मैसर्स मुरली एजेन्सी हनवन्त कॉलोनी बालोतरा प्रातः 11.00 बजे पहुॅचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम प्रवीण कुमार पुत्र वीरमाराम जाति माली निवासी हनवन्त कॉलोनी बालोतरा बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में मैसर्स मुरली एजेन्सी हनवन्त कॉलोनी बालोतरा का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य किराणा खाद्य सामग्री के साथ प्रोपराइटरी फूड ब्रान्ड सम्राट मिला जो 15 किलोग्राम के 5 टीन, आधे लीटर आर.टी. के 57 नग, आधे लीटर टीन के 360 नग, दो लीटर पैकिंग के 160 नग भरा हुआ था। प्रोपराइटरी फूड ब्रांड सम्राट में मिलावट का सन्देह होने पर उक्त प्रोपराइटरीफूड ब्रांड सम्राट में से 500–500 एमएल (जार) पैकिंग की कुल 4 पैकेट सीलबन्द क्रय किये जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 480/– रूपये अदा किया गया। प्रत्येक पैकेट पर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एंव पेपर स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी.360 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किया, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये गऐ। फार्म नम्बर 05ए भरकर गवाहों एंव प्रार्थी

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

के हस्ताक्षर करवाये। उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। सभी कार्यवाही पूर्ण करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी–360 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग, सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर कर, नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाध पदार्थ प्रोपराइटरीफूड ब्रांड सम्राट नमूना पी–360 की जॉच रिपोर्ट फूड एनालिस्ट जोधपुर के क्रमांक एलएस/एलएस/441/एक्ट/2014/460 दिनांक 01.8.2014 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जॉच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर नमूना जॉच में प्रोपराइटरीफूड ब्रांड सम्राट का नमूना मिसब्राण्ड स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अविप्रार्थी द्वारा खाध पदार्थ प्रोपराइटरी फूड ब्रांड सम्राट का विक्रय करके खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति,कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी 360 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थी ने दिनांक 14.6.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक अदालत की भावना को ध्यान मे रखते हुए न्यूनतम से न्यूनतम जुर्माना आरोपित कर प्रकरण का निस्तारण कराने का निवेदन किया।

3. हमने दोनो पक्षों को सुना। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 08.07.2014 को निरीक्षण के दौरान् मैसर्स मुरली एजेन्सी हनवन्त कॉलोनी बालोतरा पहुॅचने पर दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य खाद्य सामग्री के साथ प्रोपराइटरीफूड ब्रांड सम्राट

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। उक्त प्रोपराइटरीफूड ब्रांड सम्राट में मिलावट होने का सन्देह होने पर उक्त का नियमानुसार नमूना लिया जाकर, जांच करवाई गई। जांच के दौरान प्रोपराइटरीफूड ब्रांड सम्राट पी.360 नमूना जांच में मिसब्राण्ड का होना पाया गया, जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रोपराइटरीफूड ब्रांड सम्राट में उसके द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है तथा अप्रार्थी स्वेच्छा से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपराध स्वीकार करता है, इसलिये प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमाया जावे।

5. हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/441/एक्ट/2014/460 दिनांक 1.8.2014 के अनुसार प्रोपराइटरीफूड ब्रांड सम्राट मिसब्राण्ड का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी प्रवीण कुमार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ा) के तहत मिसब्राण्ड पाये गये प्रोपराइटरीफूड ब्रांड सम्राट बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ा) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 में अप्रार्थी प्रवीण कुमार पर 8000/–(अक्षरे रूपये आठ हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 27.6.2016 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बाडमेर

निर्णय आज दिनांक 27.6.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बाडमेर